तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :– श्री एस.के.पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी ।
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक रेस्पो.सं.–1
श्री विजेन्द्र चौधरी, अभिभाषक रेस्पो.सं.–2

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–8–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 514 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी संख्या 515 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता दो रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय से उनके खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की चली आ रही है। उक्त भूमि को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाये रेस्पोडेंट संख्या–1 क नाम दर्ज कर दी। अपीलार्थी को न तो उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया एवं न ही भूमि के बदले भूमि दी गई। उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 784 दर्ज किये गये। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–2–03 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट्स ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–8–03 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त चले आ रहे है। किसी भी विभाग को यदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दूसरों के खातेदारी की भूमि की आवश्यकता हो तो वह नियमानुसार बिना भूमि का अवाप्त की कार्यवाहीं कराये कब्जा बनाये रखने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा किसी प्रकार की कोई अवाप्ति की कार्यवाहीं अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं कराई गई है। अपीलांट की पैत्रक संपत्ति पर रेस्पोडेंट को कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये। परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद मनमाने तरीके से निरस्त किया था। अपीलीय न्यायालय ने भी गलत रूप से परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपीलांट्स की अपील मनमाने तौर पर खारिज की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी कृषि विभाग के खाते में 1955 से है। यदि वादीगण को कोई मुआवजा नहीं मिला है तो वह सक्षम न्यायालय में उसे सक्षम अधिकारी के यहां कार्यवाहीं करनी चाहिये। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा कतई नहीं है। वर्तमान में विवादित आराजी उद्यान विभाग के कब्जे में है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है। अवाप्ति कार्यवाहीं को वाद द्वारा चुनौति नहीं दी जा सकती। यह राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रतनलाल ने अपने स्वयं के बयान में जिरह में यह स्वीकार किया है कि उक्त आराजी पर कब्जा कृषि विभाग का है और इस पर उद्यान विभाग के मकान एवं बाउंड्री बनी हुई है। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के मुताबिग हाल खसरा नंबर 784 रकबा 4.45 हैक्टयर है जोकि कृषि विभाग के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजीयात भूमि आवाप्त की गई है परंतु उन्हें मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई है। इसलिये वे विवादित भूमि कों पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। परंतु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वादीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। वादी के कथन को सत्य मानने पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(iii) के अनुसार भूमि आवाप्ति की कार्यवाहीं पूर्ण होने पर खातेदार के खातेदारी अधिकार स्वतः प्रभाव से समाप्त हो जाते है तथा उसके 38 वर्ष बाद घोषणात्मक वाद के द्वारा उक्त अधिकारों को पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकता है। यदि वादीगण भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया या मुआवजे से असंतुष्ट है तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में उक्त बाबत् अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार विवादित आराजीयात आवाप्ति की कार्यवाही उपरांत प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज होना तथा कब्जा प्रतिवादी का प्रमाणित होने से परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुये वादीगण को खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं मानते हुये उसका वाद खारिज किया है, जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य (मोडूदान देथा) सदस्य	